

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 22/2012 (राजसमन्द डिक्री)

श्री पृथ्वीसिंह पिता तख्ता जी दसाणा राजपूत निवासी सुंखार तहसील
कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द (राज0)

..... अपीलान्त

बनाम

1. श्री बाबूसिंह पिता लच्छा जी दसाणा राजपूत निवासी सुंखार तहसील
कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द (राज0)
2. श्री मदनसिंह पिता लच्छा जी दसाणा राजपूत निवासी सुंखार तहसील
कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द (राज0)
3. धुलीबाई बेवा लच्छा जी दसाणा राजपूत निवासी सुंखार तहसील कुम्भलगढ़
जिला राजसमन्द (राज0)
4. श्री देवीसिंह पिता मनरूप जी दसाणा राजपूत निवासी सुंखार तहसील
कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द (राज0)
5. श्री रामसिंह पिता मनरूप जी दसाणा राजपूत निवासी सुंखार तहसील
कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द के बजाय कायम मुकाम :-
 - 5/1- जीतू पिता रामसिंह जी दसाणा राजपूत निवासी महालक्ष्मी
इलेक्ट्रोनिक, सर्वोदय नगर जोगेश्वरी ईस्ट मुम्बई 400093 (पुत्र)
 - 5/2- रतनी पत्नी रामसिंह जी दसाणा राजपूत निवासी सुंखार तहसील
कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द
6. श्री गोरूसिंह पिता मनरूप जी दसाणा राजपूत निवासी सुंखार तहसील
कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द (राज0)
7. श्री किशनसिंह पिता मनरूप जी दसाणा राजपूत निवासी सुंखार तहसील
कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द (राज0)
8. श्रीमती मोहनी पिता मनरूप जी दसाणा राजपूत निवासी सुंखार तहसील
कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द हाल पत्नी अर्जुनिसिंह निवासी मियारी तहसील
व जिला राजसमन्द

9. श्रीमती वरदीबाई पिता मनरूप जी दसाणा निवासी सुंखार तहसील कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द (राज0)
10. श्री हीरालाल पिता डालचन्द जी निवासी सुंखार तहसील कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द (राज0)
11. चन्द्रीबाई पिता किशनलाल जी निवासी सुंखार तहसील कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द (राज0)
12. लालचन्द पिता एकलिंग जी निवासी सुंखार तहसील कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द (राज0)
13. शिवलाल पिता एकलिंग जी निवासी सुंखार तहसील कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द (राज0)
14. सुरजमल पिता दौला जी आमेटा निवासी सुंखार तहसील कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द के बजाय कायम मुकाम :-
 - 14/1- मांगीलाल पिता सुरजमल जी आमेटा निवासी शाहपुरा मनिष बीकानेर होटल के पास भोपाल-165 फीट रोड़ मध्यप्रदेश
 - 14/2- गोपाल पिता सुरजमल जी आमेटा निवासी रिंक रोड़ मोरडी चौकी के आगे राजकोट गुजरात
 - 14/3- प्रकाश पिता सुरजमल जी आमेटा निवासी सुंखार तहसील कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द (राज0)
15. श्री किशनलाल पिता दौला जी आमेटा निवासी सुंखार तहसील कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द (राज0)
16. श्री सोहनलाल पिता दौला जी आमेटा निवासी सुंखार तहसील कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द (राज0)
17. श्री चम्पालाल पिता चुन्नीलाल जी आमेटा निवासी सुंखार तहसील कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द (राज0)
18. श्री ख्यालीलाल पिता भंवरलाल जी महाजन निवासी सुंखार तहसील कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द (राज0)
19. श्री सज्जन पिता भंवरलाल जी महाजन निवासी सुंखार तहसील कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द (राज0)
20. श्री निलेश पिता भंवरलाल जी महाजन निवासी सुंखार तहसील कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द (राज0)

21. श्रीमती खमाणीबाई पत्नी भंवरलाल जी महाजन निवासी सुंखार तहसील कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द (राज0)
22. श्री वरदीचन्द पिता देवीलाल जी महाजन निवासी सुंखार तहसील कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द (राज0)
23. श्री किशनलाल पिता देवीलाल जी महाजन निवासी सुंखार तहसील कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द (राज0)
24. तगतमल पिता पृथ्वीराज जी महाजन निवासी सुंखार तहसील कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द (राज0)
25. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द (राज0)

..... रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरुद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड
अधिकारी कुम्भलगढ़ दिनांक 12-01-2012 प्रकरण

संख्या 34 / 2009

----- / -----

उपस्थित :-1- श्री अतुल पालीवाल अभिभाषक अपीलान्त

2- राजकीय आधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट संख्या-25

----- / -----

निर्णय

दिनांक 12-12-2017

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी अपीलान्त द्वारा रेस्पोंडेन्ट प्रतिवादीगण के विरुद्ध घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा व विभाजन का वाद पेश कर निवेदन किया कि वादपत्र में संलग्न परिशिष्ट "अ" "ब" "स" में स्थित आराजीयात ग्राम सुंखार की विवादित है। पक्षकारान का सजरा वादपत्र की कलम संख्या-2 अनुसार है। उक्त विवादित आराजीयात पर प्रार्थी एवं प्रतिवादी संख्या-1 से 3 काबिज है। परिशिष्ट "अ" में वादी का 1/2 वस प्रतिवादी संख्या-1 से 3 को 1/2, परिशिष्ट "ब" में भी इसी प्रकार तथा परिशिष्ट "स" में कुंआ होकर 1/5 हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या-1 से 3 का है। मूल पुरुष उदा के 2 पुत्र तख्ता व मनरूप है। तख्ता के वारिसान वादी व लच्छा है तथा मनरूप द्वारा उदा की विरासत से प्राप्त 1/2 हिस्से को 1966 में बेच दिया तथा बेचते

समय खाता शामलाती होने से तख्ता जी के भी हस्ताक्षर इस बात के करवाये कि मनरूप के विक्रय पर तख्ता की सहमति है, अर्थात् तख्ता द्वारा अपने हिस्से की भूमि का विक्रय नहीं किया गया था। मनरूप द्वारा जमीन बेचने के बाद उसके वारिसान ने तख्ता के पक्ष में स्टाम्प पर लिख भी दिया था, कि इस अपील की विवादित भूमियों में मनरूप के वारिसान का हक अधिकार नहीं है, अर्थात् विवादित भूमियों में प्रतिवादी रेस्पोंडेन्ट संख्या 4 से 9 का कोई हक नहीं है तथा विवादित भूमियां वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ही है। अतएव घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं विभाजन की डिक्री दिलवाई जाय।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या-1 से 24 की और से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं हुआ। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 2-6-2011 को निम्नानुसार तनकीयात कायम की :-

1. आया वाद पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट अ, ब, स, में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी एवं प्रति. सं. 1, 2, 3 के पिता के पिता तख्ता एवं उसके सगे भाई मनरूप (प्रति.सं.5 से 9 के पूर्वज) के नाम संयुक्त खातेदारी थी तथा मृतक मनरूप द्वारा अपना हिस्सा बेचान किया तो प्रार्थी के पिता तख्ता द्वारा भी हस्ताक्षर करा दिये अब शेष बची भूमि सिर्फ तख्ता की होने से उसकी मृत्यु के बाद प्रार्थी पृथ्वीसिंह एवं विपक्षी सं. 1, 2, 3 की है?
.....बजिम्मे प्रार्थी/वादी
2. आया वादग्रस्त आराजीयात जिसमें मृतक तख्ता के साथ मनरूप (उसके भाई) का भी नाम दर्ज हो जाने से मृतक मनरूप ने स्टाम्प पर लिख दिया कि मनरूप का नाम हटाकर तख्ता के नाम दर्ज कर दिया जाय। उस लिखत के आधार पर प्रार्थी मृतक मनरूप के वारिसान की बजाय अपने तथा प्रति.सं. 1, 2, 3 के नाम दर्ज कराने की घोषणा के अधिकारी है?
.....बजिम्मे प्रार्थी/वादी
3. आया प्रार्थी इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा बहक वादी एवं प्रति.सं. 1, 2, 3 विरुद्ध प्रतिवादी सं. 4 से 9 कि वे प्रार्थी एवं प्रति.सं. 1, 2, 3 के वादग्रस्त आराजीयात में उयोग, उपभोग, कब्जे काश्त में बाधा, रुकावट, दखलन्दाजी पैदा न करे न करावें?बजिम्मे प्रार्थी/वादी

4. आया प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात को प्रार्थी एवं प्रति.सं. 1, 2, 3 के मध्य विभाजन करा पृथक-पृथक राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है? बजिम्मे प्रार्थी वादी

5. अनुतोष ?

प्रकरण में अपीलान्त द्वारा की गई एक-तरफा बहस व उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद दिनांक 12-1-2012 को खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर वादी अपीलान्त द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 2-5-2012 को पेश की गई। अपील के साथ दफा-5 जाब्ता मयाद का आवेदन व शपथ पत्र भी पेश हुआ। न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोंडेन्ट संख्या 10, 11, 12, 13, की और से अधिवक्ता उपस्थित हुए, परन्तु बहस के दौरान उपस्थित नहीं हुए। रेस्पोंडेन्ट संख्या-25 औपचारिक पक्षकार की और से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्त ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त कर अपील अपीलान्त स्वीकार करने की प्रार्थना की, वहीं राजकीय अधिवक्ता ने गुणावगुण आधार पर निर्णय करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्त के प्रमुख अपील उजर यह है कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है। प्रकरण में मनरूप के वारिसान की अनुपस्थिति मौन स्वीकृति थी। कब्जा मुखालफाना का विवेचन व तनकी भी अधिनस्थ न्यायालय ने नहीं बनाई। भूमि मनरूप के 1/2 हिस्सा का ही विक्रय हुआ था। अधिनस्थ न्यायालय ने इकरारनामें व लिखतम पर भी गौर नहीं किया। कब्जा मुखालफाना पर भी विचार नहीं किया।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि विक्रय पत्र में जो कि अपीलान्त 1966 में निष्पादित होना तथा तख्ता जी के सिर्फ सहमति के हस्ताक्षर किये जाने का जो आधार वर्णित किया है, वह निष्पादित विक्रय

पत्र से साबित नहीं करवाया है। सह-खातेदारों में प्रतिकूल कब्जा लागू नहीं होता। पंजीकृत विक्रय पत्र की तुलना में विक्रेता के वारिसान की किसी अपंजीकृत व पश्चातवर्ती लिखापढ़ी जिस पर न्यायालय में वारिसान की सहमति भी प्रकट नहीं हो, ऐसे इकरारनामों/सहमति से किसी खातेदार का हक अधिकार का अवसान नहीं किया जा सकता, चाहे वारिसान अनुपस्थित रहकर मौन स्वीकृति ही दे दे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में रेकार्डेड खातेदार एवं पंजीकृत विक्रय पत्र को विधिक मानते हुए स्टाम्प पर हुई कोई सहमति अथवा लिखापढ़ी के स्थान पर वादी अपीलान्ट द्वारा वांछित घोषणात्मक राहत को नहीं दिये जाने में किसी प्रकार की कोई तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं की है।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 12-1-2012 यथावत रखा जाती है। पर्चा डिक्री जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 12-12-2017 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.मुकाम
उदयपुर व इजलास एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.

पृथ्वीसिंह पिता श्री तखता जी बनाम 1- बाबूसिंह पिता लच्छा जी
दसाणा राजपूत निवासी सुंखार दसाणा राजपूत निवासी सुंखार
तहसील कुम्भलगढ़ जिला तहसील कुम्भलगढ़ जिला
राजसमन्द (राज0) राजसमन्द (राज0) अन्य-26
व सरकार

अपील नं0 22/2012 बनाराजगी डिगरी अदालत..... उपखण्ड अधिकारी
..... कुम्भलगढ़..... मुकाम मुखर्षे.....12.....माह.....01..... 2012

दावा बाबत

यह अपील व तारीख12..... माह12..... सन् 2017..... रूबरू.....
पक्षकारान व हाजरीश्री अतुल पालीवाल..... मिनजानिब अपीलान्त
वराजकीय अधिवक्ता..... रेस्पोंडेन्ट समाअत के लिए पेश होकर
हुक्म हुआ कि अपील अपीलान्त सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा
अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 12-1-2012 यथावत रखा
जाती है।

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिगX.... रूपये.....
Xअदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का X अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख12..... माह ...12..... 2017
को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)

भू-प्रबन्ध अधिकारी

एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्त	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
1. स्टाम्प अपील					
..स्टाम्प वकालत नामा....					
2. इजराय हुक्मनामा					
3. वकील फीस बाबत					
मीजान					
...					

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा हर्जा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

